

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:-487 / 17 ((RCMS No.2017 / 00519) 18 आयुध अधिनियम 1959)

ओमप्रकाश पुत्र किशोरी लाल जाति सोनी निवासी बयानिया पाडा हिण्डौन जिला करौली

.....अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये एपीपी भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली

.....रैस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली दिनांक 13.03.2015

उपस्थिति:-

1. श्री प्रमोद उपमन वकील अपीलान्त
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

निर्णय दिनांक: 13.07.2018

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356-9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नहीं कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्त का शस्त्र क्रम सं0 8 पर दर्ज है। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है और न ही उक्त प्रकरण की सूचना ही दी है। समस्त कार्यवाही अपीलान्त की बैक पर की गई है। अपीलान्त को नोटिस दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के शस्त्र को निलम्बित करने से पूर्व चरित्र की कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई है। अपीलान्त आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति नहीं है और न ही अपीलान्त के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अपीलान्त 5-6 वर्षों से बीमार चला आ रहा है जिसका जयपुर इलाज चल रहा है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही आदेश से, एक साथ कई अनुज्ञापत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित किये हैं जबकि इस प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्त एक सीधा साधा व्यक्ति है। अपीलान्त द्वारा कोई घटना भी घटित नहीं की है। अपीलान्त ने बन्दूक भी जमा करा दी है। अपीलान्त ने जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है तथा देरी को कण्डोन करने के लिये धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः मियाद को कण्डोन करते हुए, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्त का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/पंआचु. 15/9356-9395 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्त ने अपना शस्त्र अनुज्ञापत्र थाने में जमा नहीं कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बावजूद हथियार जमा नहीं कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्त ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356-9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नहीं कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्त का शस्त्र क्रम सं० 08 पर दर्ज है।

अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरुद्ध दिनांक 01.11.2017 को अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में प्रकरण में लिबरल ब्यू लेते हुये अपील पेश करने में हुये देरी को कण्डोन करते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। उक्त आदेशस्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने एवं पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 1650 दिनांक 13.03.2015 अपीलान्ट के क्रमांक 08 थाना कोतवाली हिण्डौन शस्त्र अनुज्ञापत्र 12 वोर वी-423490 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official